न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 54/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री श्रवण पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल (भांबी) निवासी आनन्द पुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. रामनिवास पुत्र आपूराम 2. हरीराम पुत्र आपूराम अकवाम जाट निवासीगण बस्सी, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) 3. ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 28/5/19

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण के मिसल संख्या 30/1997–1998, प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 10.08.1997 की पालना में जारी पट्‌टा संख्या 46 दिनांक 30.08.1997 जो अप्रार्थीगण 1 व 2 के हक में जारी किया गया है, उसको निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य ही मेरी बहस है तथा निगरानी में वर्णित तथ्यों के अनुसार पट्‌टा आदेश व प्रस्ताव दोनों ही विधी विरूद्ध एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की कब्जासुदा नहीं है, जो कि पंचायत की मिसल संख्या 30/1997–1998 में प्रस्तुत बेचाणनामा से स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी पट्‌टागृहिता के पिता आपूराम एवं आसूराम पुत्रगण संगराम जाति जाट निवासी बस्सी द्वारा शंकरलाल, सांवलराम पुत्रगण शिवलाल, सरवण पुत्र भंवरूराम तथा तारूराम पुत्र शिवलाल कौम मेघवाल सोनेल साकिन आनन्दपुर कालू वालो से खरीद की गई है। बेचाणकर्ता भंवरू प्रार्थी श्रवण का पिता है तथा अप्रार्थीगण आपूराम के पूत्र है। खसरा नम्बर 838 रकबा 3 बीघा है, जो 1000/– रूपये में खरीद की गई थी। जो राजस्व रेकर्ड अनुसार कृषि भूमि थी। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 838/1 है। कृषी भूमि का पट्‌टा ग्राम पंचायत

जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है तथा न ही प्रार्थी का आबादी भूमि पर पुराना अथवा पुश्तैनी कब्जा होना सिद्ध है, न ही राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 140 के अनुसार ग्राम पंचायत के पास आबादी भूमि उपलब्ध थी। जिसका ग्राम पंचायत पट्टा जारी करें। ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू द्वारा 4418.75 वर्गजग भूमि का बिना बाजार दर निर्धारित किए अथवा विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित दर प्राप्त किए बिना बातचीत से निर्धारित दर से कम कीमत पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज के नियम 156(1) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा नक्शा फीस, स्थल निरीक्षण फीस आदि वसूल नहीं किए गए तथा एक ही व्यक्ति को 4418.75 वर्गगज के बडे भूखण्ड का पट्टा मात्र 1/– रूपये प्रति वर्गमीटर से भी कम राशि में जारी कर दिया। जो नियम विरूद्ध है। प्रार्थी के आवेदन पर तारीख अंकित नहीं है। नक्शा बनाया उसमें नाप दर्ज नहीं है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा भी नहीं था। जो कार्यवाही उक्त पट्टा बाबत की गई। इसके संबंध में प्रस्ताव नहीं लिए गए है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू द्वारा जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा खरीद कर, जो लिखित पेश किया गया, वह बतौर कब्जा सिद्ध करने हेतु पेश किया गया कि उनका कब्जा वक्त खरीद वर्ष 1975 से ही जैर निगरानी आराजी पर है। अप्रार्थी के हक में दिनांक 30.08.1997 को पट्टा जारी किया गया। इसके पूर्व ही उक्त खसरा नम्बर 838 की भूमि गैर मुमकिन आबादी उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेश से नामान्तरकरण संख्या 695 के जरिए दर्ज की जा चूकी थी। वर्ष 1997–98 में खसरा नम्बर 838 गैर मुमकीन आबादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जो नकल जमाबन्दी की छायाप्रति संवत् 2046 से 2049 तक से एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 695 की छायाप्रति से स्पष्ट है, अपने कथन की ताईद में वकील अप्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का आनन्दपुर कालू की दिनांक 19.08.2009 की रिपोर्ट मय मौका फर्द दिनांक 18.08.2009 जमाबन्दी संवत् 2046–2049 तथा नामान्तरकरण संख्या 595 व 695 की नकलों की छायाप्रतियां पेश करते हुए कथन किया कि आबादी भूमि का ही ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया, जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी का पूर्व से कब्जा होने के कारण आपसी बातचीत के आधार पर विक्रय विलेख पंचायत द्वारा जारी किया गया। जो नियमानुसार है। इस आराजी के संबंध में उभयपक्षों के मध्य वाद भी चले थे। जिसे भी अप्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा होना स्पष्ट है। प्रार्थी की इल्तजा पर खसरा नम्बर 838 का सीमाज्ञान कराया उसकी मौका रिपोर्ट इस बात को सत्यापित करती है। उक्त खसरा की 2 बीघा भूमि आबादी दर्ज थी। 3/4 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा है, जो आबादी नहीं है तथा 3 बिस्वा गै.मु. रास्ता है, जो

जिला कलेक्टर, पाली

सड़क के सहारे–सहारे चालू है। पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी द्वारा पंचायत में विधिवत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसके संबंध में मिसल कायम की गई। नियमानुसार शुल्क वसूला गया। आराजी का मौका निरीक्षण किया गया है तथा भूखण्ड का पृथक–पृथक पत्रावली में नाप कब्जा अनुसार दर्ज किया गया। जिसका नक्शा व निरीक्षण प्रपत्र पत्रावली में संलग्न है। एक माह का आपत्ती इश्तिहार जारी किया गया। जिसे सार्वजनिक स्थान पर एवं जैर निगरानी आराजी पर चस्पा किया है तथा दो मौतबिरान के हस्ताक्षर है। दो गवाह के व अप्रार्थी के बयान लिए हुए है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार कर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव रजिस्टर में प्रस्ताव लेकर ही पट्टा जारी किया गया है। जिसका अंकन प्रार्थी के जैर निगरानी विक्रय विलेख पर है। ग्राम पंचायत के पास प्रस्ताव रजिस्टर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि प्रस्ताव नहीं लिए गए है तथा न ही अप्रार्थी इसके लिए जिम्मेदार है, लिहाजा ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा विधी सम्मत होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत की मिसल व पट्टा बुक का अवलोकन किया गया। पंचायत मिसल एवं पत्रावली में प्रस्तुत बेचाणनामे के आधार पर जैर निगरानी आराजी क्रेता आपूराम व आसूराम पिसरान संगराम जाट निवासी बस्सी द्वारा शंकरलाल वल्द शिवलाल, सांवलराम पुत्र शिवलाल एवं श्रवण पुत्र भंवरूराम तथा तारूराम पुत्र शिवलाल कौम मेघवाल सोनेल साकिन आनन्दपुर कालु से दिनांक 27.07.1975 को क्रय की गई थी। उक्त समय खसरा नम्बर 838 रकबा तीन बीघा किस्म बारानी दोयम ग्राम आनन्दपुर कालु चक नम्बर 2 की आराजी सिवायचक सरकारी भूमि दर्ज थी एवं विक्रेता का उक्त भूमि पर मात्र कब्जा था, जिसे 1000/– में विक्रय कर कब्जा अप्रार्थीगण (क्रेता) को सौंपा गया था। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा जैर निगरानी आराजी की किस्म परिवर्तन कर बारानी दोयम से गै.मु. आबादी जरिये नामान्तरकरण संख्या 695 के दर्ज की गई। जिसके कॉलम संख्या 14 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रदत आदेश क्रमांक राजस्व/78/2398–2400 दिनांक 01.12. 1978 के पालनार्थ भरे जाने का अंकन है। उसी में इसी खसरा नम्बर 838 की 3 बिस्वा भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज की हुई है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी वर्ष 1978 में आबादी दर्ज हो गई थी एवं अप्रार्थीगण का उस पर कब्जा था, जिसे पंचायत द्वारा बातचीत के जरिये कीमत वसूल कर उपरोक्त गै.मु. आबादी भूमि का पट्टा संख्या 46/30.08.1997 जारी किया गया। जो विधी सम्मत होने से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई, जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण कर नक्शा बनाया गया है।

जिला कलेक्टर, पाली

आबादी भूमि का निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया, जिस पर तीन वार्डपंचो, सरपंच एवं अप्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया। जिसकी प्रति सार्वजनिक मंदिर एवं जैर निगरानी भूमि पर दो मौतबिरानों के रूबरू चस्पा किया गया। अप्रार्थी के साथ अन्य दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी लिए गए है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का क्षेत्रफल 4875 वर्गगज एवं मौके अनुसार कीमत को ध्यान में रखते हुए जैर निगरानी आराजी की कीमत 29250/– रूपये तय किए गए। जिसकी ताईद पंचायत सदस्यों द्वारा आदेशिका में करने के पश्चात अप्रार्थी का कब्जा होने से आपसी बातचीत से कीमत का 1/6 हिस्सा राशि 4875/– रूपये में पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 10.08.997 पारित कर विक्रय विलेख जारी किया गया। जो विधी सम्मत होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में जारी प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 10.08.1997, मिसल संख्या 30/97–98 में परित आदेश दिनांक 10.08.1997 की पालना में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 30.08.1997 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालु का रेकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/5/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान) न्यायालय